न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, एटा
पीठासीन अधिकारी–राकेश धर दुबे (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02008
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 1254/2026
(CNR No. UPET010042772026)

रनवीर उम्र 56 वर्ष पुत्र मुलायम सिंह, निवासी नगला रूपी, थाना अवागढ़, जिला एटा।
----आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य -----अभियोजक

मु०अ०सं0–102/2026
धारा–80(2),85 बी0एन0एस0 एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–अवागढ़, जिला एटा।

23.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **रनवीर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**102/2026** अन्तर्गत धारा–**80(2),85 बी0एन0एस0** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना **अवागढ़**, जिला एटा के मामले में जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी वीरेश ने अपनी पुत्री कीर्ति की शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 22.02.2022 को पंकज कुमार के साथ उनकी मांग के अनुसार एवं अपनी हैसियत से अधिक करीब 11 लाख रुपया खर्च कर सम्पन्न की थी और पुत्री को हंसी खुशी से ससुराल विदा किया था। शादी के बाद कीर्ति का वैवाहिक जीवन कुछ समय तक ठीक से व्यतीत हुआ और पति के संसर्ग से दो पुत्रियों कु० किट्टू व लक्ष्मी को जन्म दिया, किन्तु पुत्रियों के जन्म के बाद से कीर्ति के ससुरालीजन पति पंकज कुमार, ससुर रनवीर सिंह, जेठ जयप्रकाश व सत्यप्रकाश, जेठानी जयप्रकाश की पत्नी व सत्यप्रकाश की पत्नी एवं ननद गिरजा देवी व रीना देवी यह कहते हुए अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रूपया मायके से दिलाने को दबाव देने लगे कि उसने दो लडकियां पैदा कर उनका खर्चा बढ़ा दिया है और मांग पूरी कराने को पुत्री को तंग व परेशान कर प्रताडित करने लगे, जिसकी बावत कीर्ति द्वारा बताये जाने पर वादी अपने भाई विशेष कुमार एवं अपने मिलने वाले नीरेश आदि को साथ लेकर आज से करीब एक माह पूर्व पुत्री कीर्ति की ससुराल नगला रूपी गया और उन लोगों ने पुत्री के उक्त ससुरालीजन को समझाया और बताया कि उन्होंने शादी में सामर्थ्य से अधिक खर्च किया था, अब उनके पास पांच लाख रूपया देने की कोई व्यवस्था नहीं है, किन्तु उपरोक्त लोग अपनी अतिरिक्त दहेज की मांग पर अड़े रहे। तब वादी यह आश्वासन देकर कि जल्दी ही कुछ न कुछ व्यवस्था करके आपको देगें और समझा बुझाकर पुत्री को ससुराल में ही छोड़कर वापस चला आया। दिनांक 20.05.2026 को शाम 05.00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी कि उसकी पुत्री कीर्ति को उसके ससुरालीजन ने मारपीट कर जान से मार दिया है। सूचना पर वह अपने परिवारीजनो के साथ तुरन्त ही पुत्री कीर्ति की ससुराल नगला रूपी पहुँचा तो देखा कि पुत्री व उसके ससुरालीजन घर पर नहीं है। जानकारी करने पर पता चला कि पुत्री के शव को पुलिस वाले पोस्टमार्टम हेतु एटा ले आये है। तब वादी व उसके परिवारीजन एटा आये और देखा कि पुत्री के शरीर पर मारपीट की चोटों के निशान व गले पर फांसी लगाने के निशान है। उसकी पुत्री का शव अभी भी जिला अस्पताल एटा में पोस्टमार्टम हेतु रखा हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है। यह भी तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 20.05.2026 को शाम के 05.00 बजे की बतायी गयी है, जबकि इसकी रिपोर्ट विलम्ब से दिनांक 21.05.2026 को

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.07.23 16:15:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुबह 10:35 पर थाना अवागढ पर दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। मृतका का पोस्टमार्टम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हुआ है। उसके विरुद्ध अलग से कोई दहेज मांगने का एलीगेशन नहीं दिखाया है क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जनरल टाइप का एलीगेशन दहेज मांगने का दिखाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक व अन्य 7 मुल्जिमानों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी है, जबकि 6 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने यह पाया कि इस घटना से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। सही बात यह है कि आवेदक, पंकज का पिता है, लेकिन पंकज से अलग रहता है और उसका राशन कार्ड व घर अलग है और पंकज अपने पत्नी के साथ अपने मकान में अलग रहता है। पंकज बाहर नौकरी करता है और अपनी पत्नी के साथ गांव में अलग मकान में रहता था तथा वह अपने दूसरे पुत्र के साथ अलग मकान में रहता है। उसका कोई सम्बन्ध अपने पुत्र पंकज से नही है क्योंकि शादी के बाद से ही उसने अपने पुत्रों को अलग–अलग कर दिया था। दौरान विवेचना गांव में ऐसा भी कोई गवाह नही मिला जिसने कहा हो कि मृतका को कभी आवेदक ने परेशान किया है। उसकी उम्र 56 वर्ष है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वह सजायाफ्ता है। आवेदक/अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री कीर्ति से अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मांग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित कर मारपीट की गयी एवं दहेज हत्या विवाह के पाँच वर्ष के अन्दर कारित कर दी गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। उक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने व उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्र के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी की पुत्री कीर्ति से अतिरिक्त दहेज में पाँच लाख रुपये की मॉग की गयी, जिसकी पूर्ति न होने पर उसे मारपीट कर, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया एवं अतिरिक्त दहेज की पूर्ति न होने पर कीर्ति की हत्या कारित कर उसके शव को फाँसी पर लटका दिया गया है।

मृतका कीर्ति की शव–विच्छेदन आख्या में उसके लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य छः चोटें पायी जाना अंकित है। शव–विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु का कारण, मृत्यु पूर्व फांसी लगने से श्वांसारोध होने के कारण अंकित है।

यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि आवेदक/अभियुक्त, मृतका का ससुर है तथा मृतका की मृत्यु, विवाह के मात्र चार वर्ष के अन्दर, सामान्य परिस्थितियों से इतर अभियुक्त के घर में हुयी है, जबकि मृतका के संरक्षण का दायित्व ससुर होने के कारण आवेदक/अभियुक्त पर था। विवेचना के दौरान विवेचक को मृतका के पिता व माँ ने अपने–अपने बयानों में आवेदक/अभियुक्त द्वारा मृतका को अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाना बताया गया है। प्रथम दृष्ट्या मामला गंभीर प्रकृति का दर्शित होता है। अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति व गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **रनवीर** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–**102/2026** अन्तर्गत धारा–**80(2),85 बी0एन0एस0** एवं **3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** थाना **अवागढ़**, जिला एटा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा।

दिनॉकः 23.07.2026